संख्या- 2/2026 /292/83-2026/2014077

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-27 लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा के उप शीर्षक मद के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा विभाग की इकाईयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-214/अनु-2/बजट-166/2025, दिनांक 20.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-27 लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा लेखाशीर्ष 2070001060501-03 (महंगाई भत्ता) के मानक मद के अन्तर्गत संभावित बचतों से लेखाशीर्ष 2070001060501-49 (चिकित्सा व्यय) मानक मद में संलग्न बी०एम०-09 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल रू० 10,00,000/- (रू० दस लाख मात्र) व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) निदेशक, नागरिक सुरक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण करने तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक नागरिक सुरक्षा का होगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुन: पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(4) केन्द्रांश की प्राप्ति के संबंध में निदेशक नागरिक सुरक्षा, द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) पुनर्विनियोग के माध्यम से जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय संलग्न बी०एम०-09 के विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की आर.ई.संख्या-बजट-1-530, दिनाँक 17.03.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है ।

संलग्नक- बी०एम०-09

भवदीय,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय/ऑडिट, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन। (03 प्रतियों में) ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।